# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

**बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों**
**के लिए**
**<u>आचार संहिता</u>**

## 1. <u>परिचय</u>

1.1 यह आचार संहिता (यह 'संहिता') नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के "बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता" कही जाएगी जिसे इसमें उसके पश्चात "कंपनी" के रुप में निर्दिष्ट किया गया है |

1.2 यह संहिता (कोड) मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विज़न, मूल्य और संस्कृति के अनुरुप है तथा उसका लक्ष्य कंपनी के कामकाज के संचालन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाना है |

1.3 इस कंपनी के सामान्यत: आचरण, अनुशासन और अपील नियम ("सी डी ए नियम") हैं, जो कंपनी के सभी स्थायी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करते हैं जिसमें पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं किन्तु इसमें अपूर्णकालिक निदेशक और ऐसे कर्मचारी शामिल नहीं है जो औघ्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होते हैं | बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए यह संहिता विशेष रुप से स्टाक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीबद्ध (लिस्टिंग) करार के खंड-49 के प्रावधान के अनुरुप तैयार की गई है | पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में यह संहिता सीडीए नियमों के साथ पढी जाती है |

1.4 यह ................................(बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख) से लागू होगी |

1.5 निदेशक मंडल ने इस आचार संहिता को कानून में यथा विनिर्दिष्ट अपनी भूमिकाओं, कार्यों और कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए अपनी वचनबद्धता के साक्ष्य के रुप में अपनाया और मानकों, व्यावसायिक आचरण, शासन, पारदर्शिता, निष्ठा, ईमानदारी, अखंडता और हिता संघर्षों के परिवर्जन का पालन किया |

1.6 इस आदर्श आचार संहिता की समीक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियामक परिवेश के अनुरुप की जाएगी और इस संहिता में किसी भी संशोधन को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा |

## 2. <u>परिभाषा एवं व्याख्या</u>

इस संहिता में जब तक कि उसके अर्थ या संदर्भ के विरुद्ध न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अभिप्राय: उनके नीचे दिये गए अनुसार होगा |

2.1 शब्द **"बोर्ड / निदेशक बोर्ड"** से कंपनी का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत होगा |

2.2 शब्द **"बोर्ड सदस्य"** से कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य अभिप्रेत होगा |

2.3 शब्द **"पूर्णकालिक निदेशक"** से बोर्ड सदस्य अभिप्रेत होगा जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में हैं |

2.4 शब्द **"अपूर्णकालिक निदेशक"** से बोर्ड सदस्य अभिप्रेत होगा जो कि अंशकालिक निदेशक हैं और जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं |

2.5 शब्द **"वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक"** से कंपनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत होगा जो निदेशक बोर्ड को छोडकर इसकी आधारभूत प्रबंधन टीम के सदस्य है और इसमें सभी कार्यपालक निदेशक, मुख्य महा प्रबंधक, महा प्रबंधक और अन्य कार्य प्रमुख शामिल होंगे |

2.6 शब्द **"नातेदार"** से कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियमावली, 2014 के नियम-4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित नातेदार होगा |

2.7 शब्द **"हित संघर्ष"** का तात्पर्य ऐसे संघर्ष से है जहां एक व्यक्ति या संस्था के हित या लाभ कंपनी के हित या लाभ से टकराते हैं |

2.8 शब्द **"लोक प्रवक्ता"** से कंपनी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत होगा जिसे अनाधिकृत व्यापार को रोकने के लिए कंपनी प्रकटन कार्यप्रणाली संहिता के अंतर्गत नामित किया जाता है |

इस संहिता में पुल्लिंग का अर्थ रखने वाले शब्द स्त्रीलिंग होंगे और एकवचन का अर्थ रखने वाले बहुवचन होंगे या बहुवचन का अर्थ रखने वाले एकवचन होंगे |

**3. <u>अनुप्रयोज्यता</u>**

यह संहिता निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होगी :

क) सभी पूर्णकालिक निदेशक

ख) सभी पूर्णकालिक निदेशक जिसमें पदेन सरकारी नामित व्यक्ति शामिल हैं जब तक कि इस संहिता के कुछ प्रावधानों से विशेष रुप से छूट न प्रदान की गई हो |

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित मूल प्रबंधकीय कार्मिक |

घ) इस संहिता के खंड 2.5 में यथा परिभाषित वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक |

**4. <u>संहिता की विषय-वस्तु</u>**

भाग - I - सामान्य नैतिक आदेश

भाग - III - विशेष व्यवसायिक उत्तरदायित्व

भाग - III - विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

**भाग - I**

**सामान्य नैतिक आदेश**

**5. समाज और मानव कल्याण के लिए योगदान**

5.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित यह सिद्धांत मानव मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की सभी संस्कृतियों का आदर करने के दायित्व का समर्थन करता हैं | हमे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों से जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनका उपयोग सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय तरीकों से किया जाएगा, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थय एवं कल्याण के लिए हानिप्रद प्रभावों से बचा जाएगा | सुरक्षित सामाजिक परिवेश के अलावा मानव कल्याण में सुरक्षित प्राकृतिक परिवेश भी शामिल है |

5.2 इसलिए, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जो कंपनी के उत्पादों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और उन्नयन के लिए जबाबदेह है, उन्हें मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विधिक और नैतिक दोनों उत्तरदायित्व के संबंध में सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरुक बनाना चाहिए |

**6. ईमानदार और विश्वसनीय रहें और सत्यनिष्ठा के अनुसार आचरण करें**

6.1 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी विश्वास के अनिवार्य घटक हैं | बिना विश्वास के कोई संगठन कारगर तरीके से कार्य नहीं कर सकता |

6.2 सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे कंपनी के कामकाज का संचालन करते समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा नैतिक आचरण के सर्वोच्च मानकों के अनुसार कार्य करें |

**7.0 निष्पक्ष रहें और भेदभाव न हो इसके लिए कार्रवाई करें**

समानता, सहिष्णुता के सभी मूल्य सभी को आदर और समान न्याय का सिद्धांत इस नैतिक आदेश का नियमन करते हैं | कानून के अंतर्गत विशेष रुप से उपबंधित के सिवाय, जाति, लिंग, धर्म, आयु, नि:शक्तता राष्ट्रीय वंशोप्पत्ति, या अन्य ऐसे कारक के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है |

**8. सूचना की गोपनीयता**

समय-समय पर कंपनी में यथा प्रचलित कंपनी प्रकटन कार्यप्रणाली संहिता के अधीन कंपनी के कामकाज, इसके ग्राहकों, पूर्तिकारों आदि के संबंध में कोई सूचना जिस तक बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की पहुंच है या जो उनके स्वामित्व में है, गोपनीय समझी जानी चाहिए और गोपनीय रखी जानी चाहिए|

काई भी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रेस या किसी अन्य मीडिया को औपचारिक या अनौपचारिक रुप से कोई सूचना नहीं देंगे जब तक विशेष रुप से प्राधिकृत न हों | परन्तु बोर्ड

सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी के लोक प्रवक्ता से परामर्श करके / को सूचित करते हुए ऐसी सूचना देने के लिए स्वतंत्र होंगे जो कि :

प्रकटीकरण के समय सरकारी क्षेत्र का भाग है या प्राधिकृत बोर्ड के निर्णय के अनुसरण में प्रकट किए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित थी या किसी उप समिति के संबंध में प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित थी या विद्युत मंत्रालय के लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुसार प्रकट की जानी आवश्यक थी |

**9. प्रतिज्ञा और व्यवहार**

9.1 कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना |

9.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्ट्राचार के उन्मूलन के लिए पूर्णत: कार्य करना |

9.3 सर्तक रहना और कंपनी के विकास एवं प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना |

9.4 संगठन के लिए गौरव प्रस्तुत करना और कंपनी के पणधारियों (स्टैक होल्डर) के लिए मूल्य आधारित सेवाएं मुहैया कराना |

9.5 पूरी ईमानदारी और बिना किसी डर या पक्षपात के ड्यूटी करना |

**<u>भाग-II</u>**

**विशेष व्यावसायिक उत्तरदायित्व**

**10. कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों को प्रतिदिन जीवन में लागू करना**

सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों को प्रतिदिन जीवन में लागू करेंगे |

**11. व्यावसायिक कार्य की प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों में सर्वोच्च गुणवत्ता, कारगरता और गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना**

उत्कृष्टता संभवत: किसी वृत्तिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है | अत: प्रत्येक को अपने व्यावसायिक कार्य में गुणवत्ता, कारगरता और गौरव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए |

**12. वृत्तिक सक्षमता को प्राप्त करना और बनाए रखना**

उत्कृष्टता अलग-अलग व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो वृत्तिक सक्षमता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व लेते हैं | अत: सभी से आशा की जाती है क सक्षमता के समुचित स्तरों के मानक निर्धारण में शामिल हों और उन मानको को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें |

**13. कानून का अनुपालन**

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे |

**14. समुचित व्यावसायिक समीक्षा को स्वीकार करना और व्यवस्था करना**

गुणवत्ता व्यावसायिक - कार्य व्यावसायिक समीक्षा और समालोचना पर निर्भर करता है | जब कभी समुचित हो, अलग-अलग सदस्यों को समकक्ष समीक्षा की मांग करनी चाहिए और उपयोग करना चाहिए तथा अपने कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए | उन्हें बोर्ड को समुचित तरीके से और सही समय पर किसी सदस्य को ज्ञात उस जानकारी के बारे में सूचित करते रहना चाहिए जो कि निर्णय लेने से संबंधित है या अन्य प्रकार से कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं |

**15. कार्य प्रणाली की गुणवत्ता को बढाने के लिए कार्मिक और संसाधनों की व्यवस्था करना**

संगठनात्मक प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि साथी कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रेरक वातावरण का सृजन किया जाए कि वे अपना सर्वोत्तम कार्य निष्पादन प्रस्तुत कर सकें | बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे और कंपनी के कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करके उन्हें व्यावसायिक विकास को बढावा देंगे और प्रोत्साहित करेंगे और इस प्रकार कार्य-प्रणाली की गुणवत्ता को बढाएंगे |

**16. ईमानदार बने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचे**

बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अपने परिवार एवं संबंधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कंपनी संबंधी लेन-देन से उद्भूत होने वाले किसी व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक की मांग नहीं करेंगे | इसमें उपहार या महत्वपूर्ण मूल्य वाले अन्य लाभ शामिल हैं जिन्हें संगठन के व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए किसी एजेंसी आदि को संविदा प्रदान करने के लिए कभी-कभी बढाया जा सकता हैं |

**17. कंपनी के अनुशासन का पालन करें**

कंपनी में बिना किसी रोक-टोक के बातचीत की जा सकती है और लोगों को सभी स्तरों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यद्यपि कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्र रुप से विचारों का आदान-प्रदान होता है किन्तु जब वाद-विवाद समाप्त हो जाता है और नीति संबंधी मतैक्य हो जाता है तो सभी से इसका अनुपालन करने की आशा की जाती है भले ही कुछ मामलों में कोई व्यक्ति इससे व्यक्तिगत रुप से सहमत न हो | कुछ मामलों में नीतियां कार्रवाई करने के लिए मार्ग-दर्शन के रुप में कार्य करती है जबकि अन्य में वे कार्रवाई को बाधित करने के लिए तैयार की जाती हैं |

सभी को अंतर की पहचान करना सीखना चाहिए और इस बात को महत्व देना चाहिए कि वे उनका पालन क्यों करें |

**18. इस प्रकार का आचरण करना जो कंपनी के नाम को दर्शाता है**

सभी से आशा की जाती है कि ड्यूटी पर और ड्यूटी पर न होने पर दोनों स्थितियों में इस प्रकार आचरण करेंगे जो कंपनी के नाम को दर्शाता है | उनकी संपूर्ण व्यक्तिगत अभिवृति और व्यवहार का कंपनी की प्रतिष्ठा से संबंध होता है और यह आचरण का तरीका ही संगठन के भीतर एवं सामान्य रुप से पब्लिक द्वारा महसूस किया जाता है |

**19. कंपनी के हितधारियों (स्टेक होल्डर) के प्रति जबाबदेह हो**

वे सभी जिनके लिए हम कार्य करते हैं, हमारे ग्राहक होंगे, जिनके बिना कंपनी व्यवसाय नहीं कर पाएगी, ऐसे हितधारियों जिनका कंपनी के व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्टैक हैं, ऐसे कर्मचारी जिनका इन सभी को संभव बनाने में निहित हित है, ऐसे विक्रेता जो समय पर सुपुर्दगी प्रदान करने में कंपनी की सहायता करते हैं और वह समाज जिसके लिए कंपनी अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार है- एन.एफ.एल. के स्टेक होल्डर है | इसलिए सभी को हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के प्रति जिम्मेदार है |

**20. अनाधिकृत व्यापार को रोकना**

कंपनी ने अनाधिकृत व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता को अपनाया है, जिससे कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके | बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक उक्त संहिता का अनुपालन करेंगे जो कि कंपनी की वेबसाइट : www.natinalfertilzers.com पर उपलब्ध है |

**21. व्यवसाय जोखिमों को पहचानना, कम करना, व्यवस्थित करना**

कम करना और प्रबंध करना कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का पालन करना प्रत्येक का उत्तरदायित्व है जो कि व्यवसाय जोखिमों का निर्धारण करने के लिए कंपनी के कार्य कार्यक्षेत्र का प्रचालन क्षेत्र से संबंध और ऐसे जोखिमों का प्रबंध करने में कंपनी की विस्तृत प्रक्रिया में सहायता करना जिससे कि कंपनी अपने व्यवसाय के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके |

**22. आस्तियों का संरक्षण**

बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी की आस्तियों का संरक्षण करेंगे, जिसमें भौतिक आस्तियां, सूचना और बौद्धिक अधिकार शामिल हैं और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेंगे |

## भाग-III

## विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

**23. वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के रुप में**

23.1 वे आचरण के निर्धारित प्रतिमानकों के अनुरुप अपने कार्य निष्पादन के लिए जवाबदेह होंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि व्यय में कोई फिजूलखर्ची नहीं है |

23.2 कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक बोर्ड के समक्ष ऐसी सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन को प्रस्तुत करेंगे जहां उनका ऐसा व्यक्तिगत हित शामिल है जिनका कि कंपनी के हित के साथ टकराव हो सकता है (अर्थात कंपनी के शेयरों में लेन-देन, ऐसे निकायों के साथ शेयरधारिता है जिनका प्रबंधन और संगे-संबंधियों के साथ वाणिज्यिक लेन-देन है )|

**24. बोर्ड सदस्यों के रुप में**

24.1 वे कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को अपनी अन्य बोर्ड रिथतियों में किसी परिवर्तन, अन्य व्यवसाय के साथ संबंध और अन्य घटनाओं /परिस्थितियों/ स्थितियों के बारे में

सूचित करेंगे जो बोर्ड / बोर्ड समिति कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी क्षमता को बाधित कर सकते है या बोर्ड के उस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या वे स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) की स्वतंत्र अपेक्षाओं को पूरा करते हैं |

24.2 वे वचनबद्ध होंगे कि बोर्ड के निष्पक्ष सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना वे हितों के स्पष्ट टकराव से
बचेंगे | हितों का टकराव हो सकता है जब उनके ऐसे व्यक्तितगत हित होते हैं जो सामान्य रुप से कंपनी के हितों से टकरा सकते हैं | निदर्शी मामले निम्नलिखित हो सकते हैं :

**(i) संबद्ध पार्टी प्रकटन**

बोर्ड सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों के अनुसार कोई भी जानकारी निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रकट करेंगे और प्रबंधन कार्मिक कोई भी जानकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रकट करेंगे |

**(ii) अन्य निदेशक पद**

जब तक कि बोर्ड द्वारा विशेष रुप से अनुमति प्रदान नहीं की जाती हैं, बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी अन्य कंपनी के निदेशक का किसी फर्म के भागीदार के रुप में कार्य नहीं करेंगे जो कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यापार में लगा हुआ है या जो एन.एफ.एल. के मुख्य व्यवसाय में प्रतिद्वन्दी है | यह खंड पदेन सरकारी नमिती निदेशकों पर लागू नहीं होता
है | वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी अन्य कंपनी के निदेशक पद या फर्म की साझेदारी स्वीकार करने के लिए कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा |

(iii) परामर्श कार्य / व्यवसाय / रोजगार: ऐसे किसी भी कार्य (चाहे वह परामर्शी सेवाएं प्रदान करने या व्यवसाय चलाने या रोजगार स्वीकार करने की प्रकृति का हो) जो कि संभवत: कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों / उत्तरदायित्वों को बाधित कर सकता है या टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है | उन्हें किसी भी प्रकार से कंपनी के किसी पूर्तिकार/ सेवा प्रदाता या ग्राहक के साथ निवेश नहीं करना चाहिए या उनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए |

(iv) व्यक्तिगत लाभ के लिए शासकीय स्थिति का प्रयोग करना : व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी सरकारी स्थिति का प्रयोग नहीं करना चाहिए |

24.3 वे बोर्ड / समिति की बैठकों में सक्रिय रुप से भाग लेंगे जहां वे कार्य करते है |

24.4 वे बोर्ड के समय ऐसे किसी व्यक्तिगत हित को प्रकट करेंगे जो कि किसी ऐसे मामले के संबंध में है जो मामला बोर्ड के समक्ष आ सकता है, जो किसी भी ऐसे मामले के संबंध में निर्णय को प्रभावित करें और कोई विचार-विमर्श नहीं करेगा, वोट नहीं देगा या अन्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिस मामले में संबंधित निदेशक का कोई हित हैं या हो सकता है |

24.5 वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-166 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट और संलग्नक iv में दिए गए अनुसार कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे |

24.6 स्वतंत्र निदेशक वृतिक आचरण के दिशा-निर्देशों का भी पालन करेंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसची iv (स्वतंत्र निदेशक संहिता) में यथा विनिर्दिष्ट और क्रमश: संलग्नक v एवं vi में उल्लिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे |

24.7 वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्ध करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के अंतर्गत किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण करने के लिए वचनबद्ध होंगे |

**25. व्यवसाय आचार संहिता और आचार नीति का अनुपालन**

25.1 बोर्ड के सभी सदस्य / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक इस संहिता के सिद्धांतों को मान्य ठहराएंगे और बढावा देंगे |

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है | यह न केवल बोर्ड सदस्यों/ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे इस संहिता में दिए गए सिद्धांतों का अनुपालन करें बल्कि उनमें से प्रत्येक को अन्य व्यक्तियों द्वारा इसका अनुपालन किए जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सहयोग देना चाहिए |

25.2 इस संहिता के उल्लंघन को संगठन के साथ असंगत संबंध के रुप में माने :

यदि कोई बोर्ड सदस्य और प्रबंधन कार्मिक इस संहिता का पालन नहीं करते है तो इस मामले की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी और इसका निर्णय अंतिम होगा | कंपनी के पास चूककर्ता के विरुद्ध यथा आवश्यक समुचित कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार सुरक्षित है |

**26. इस संहिता का अनुपालन नहीं करने के परिणाम**

26.1 अपूर्णकालिक निदेशकों द्वारा इस संहिता को भंग किए जाने के मामले में, निदेशक बोर्ड द्वारा उस पर यथा आवश्यक समुचित कार्रवाई आरंभ करने के लिए विचार किया जाएगा |

26.2 पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इस संहिता के भंग किए जाने के मामले में उन पर कंपनी के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली (सीडीए) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी |

**27. संहिता का सतत अद्यतनीकरण**

इस संहिता की कानून में किसी परिवर्तन कंपनी के दर्शन, विज़न, मिशन, मूल्य व्यापार योजनाओं या बोर्ड द्वारा अन्य प्रकार से यथा आवश्यक समझें जाने वाले परिवर्तनों के अनुरुप सतत समीक्षा की जाती है और इसे अद्यतन किया जाता है तथा सभी ऐसे संशोधन/ आशोधन उसमें उल्लिखित तारीख से प्रभावी होंगे |

**28. वार्षिक अनुपालन रिर्पोट**

28.1 सूचीबद्ध करार के खंड 49 के अनुसार सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर इस संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे | कंपनी की वार्षिक रिर्पोट में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होगी | वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रोफार्मा संलग्नक - || के रुप में इस संहिता के साथ संलग्न है | वार्षिक अनुपालन रिर्पोट कंपनी सचिव को अग्रेषित की जाएगी | यदि कोई निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन

कार्मिक वित्त वर्ष के दौरान किसी समय कंपनी छोड देता है, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ अपने संबंध की तारीख तक इस संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए कंपनी सचिव को सूचना भेजेगा |

28.2 कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) या अन्य कोई व्यक्ति जिसे प्रमुख के रुप में वित्त संबंधी कार्य सौंपा गया है, वे बोर्ड को प्रमाणित करेंगे कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी में किया गया कोई भी लेन-देन कपटपूर्ण, गैर-कानूनी नहीं है या यह संहिता (कोड) का अतिक्रमण नहीं करता |

**29. कंपनी प्रकटन - कार्य प्रणाली**

कंपनी प्रकटन-कार्य प्रणाली-संहिता "अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना" के प्रकटीकरण को विनिमित करता है, लोक प्रवक्ता स्टॉक एक्सचेंज, विश्लेषकों, शेयर धारको और मीडिया की अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के प्रकटीकरण पर निगरानी रखने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है और इसे प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा बनाना या निदेशक (वित्त) के अनुमोदन से कंपनी की वैबसाइट पर डाली जाने वाली / प्रेस को जारी की जाने वाली सूचना का विषय भी शामिल है | लोक प्रवक्ता या लोक प्रवक्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति विष्लेषकों / अनुसंधानकर्त्ताओं और संस्थागत निवेशकों को कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी को प्रकट नहीं करेगा | बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिक कंपनी प्रकटन-कार्यप्रणाली-संहिता का अनुपालन करेंगे |

**30. आचार संहिता लागू करना**

बोर्ड का प्रत्येक सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन का कार्मिक इस संहिता का पूर्णत: अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा |

**31. संहिता की प्राप्ति की अभिस्वीकृति**

सभी बोर्ड सदस्य, के एम पी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता (कोड) और इसके आशोधन (आशोधनों) की प्राप्ति की अभिस्वीकृति परिशिष्ट -||| में दिए अभिस्वीकृति फार्म में देंगे और इसे कंपनी सचिव को अग्रेषित करेंगे जिसमें यह उल्लेख करेंगे कि उन्होंने इस प्राप्त कर लिया है, पढ और समक्ष लिया है और इस संहिता (कोड) को अनुपालन करने के लिए सहमत है |

**32. संहिता (कोड) को वेबसाइट पर डालना**

सूचीबद्ध करार के खंड 49 के अनुसरण में यह संहिता (कोड) और इसका कोई भी संशोधन कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा |

**33. संहिता (कोड) के संबंध में स्पष्टीकरण**

बोर्ड का कोई भी सदस्य का वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक यदि इस आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता है तो वह कंपनी सचिव से संपर्क कर सकता है |

**34. महत्वूपर्ण अपेक्षाएं**

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें दिये गए प्राधिकार के भीतर कार्य करेंगे और निम्नलिखित का पालन करेंगे :

34.1 अत्यधिक ध्यानपूर्वक, कुशल कर्मिष्ठता और सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे |

34.2 अत्यधिक सदभाव से कार्य करेंगे और न्याय से समझौता किए बिना स्वतंत्रता से न्यासीय दायित्वों को पूरा करेंगे |

34.3 ऐसे मामलों पर जिसमें हित के संबंध में विवाद उठे या जिसमें उसकी राय में विवाद उठने की संभावना है उनमें कंपनी के हित के प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं लेंगे |

34.4 कंपनी अधिनियम, 2013 में और सूचीबद्ध करार में दिए अनुसार संबंद्ध पार्टी के लेन-देन से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करेंगे |

34.5 सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन यदि कोई हो, जिसमें उनका निजी हित हो, और जिसकी कंपनी के हित के साथ काफी टकराव होने की संभावना है बोर्ड को प्रकट करेंगे |

34.6 कंपनी से संबंधित कारोबारी से लेन-देन तथा उनका उसमें कोई व्यक्तिगत और / या वित्तीय लाभ नहीं होगा, को प्रकट नहीं करेंगे |

34.7 संविदाकार या पूर्तिकार से ऐसा कोई लेन-देन नहीं करेंगे जिससे व्यवसायिक स्तर पर कारोबार करने की सामर्थ्य, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा आधार पर समझौता करना पडे या जिसको बोर्ड के सदस्यों / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक / कंपनी द्वारा लिए गए विवेकाधीन निर्णय पर प्रभाव पड सकता है |

34.8 ऐसा पद या कार्य नहीं लेगा या बाह्रय कारोबार या अन्य हित में शामिल नहीं होगा, जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल हैं |

34.9 अपने निजी लाभ के लिए, कंपनी की संपत्ति, जानकारी या पद का उपयोग करके प्राप्त किए गए अवसर से लाभ नहीं उठाएगा जब तक कि इस अवसर को कंपनी के निदेशक मंडल को लिखित रुप में प्रकट नहीं कर दिया जाता और बोर्ड ऐसे अवसर को अस्वीकार नहीं कर देता और ऐसे अवसर का लाभ उठाने के लिए अनुमति नहीं दे देता |

34.10 कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली (सीडीए) के अधीन जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं हो सीधे या अप्रत्यक्ष रुप से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा |

34.11 ऐसा कोई कथन नहीं करेगा जिससे सरकार की या कंपनी की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना हो या कंपनी और जनता या कंपनी के प्रबंधन वर्ग और इसके कर्मचारियों जिससे सभी पणधारी शामिल हैं के बीच संबंधों में कोई असंमजस की स्थिति पैदा हो |

34.12 ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा नैतिक अधमता हो या सार्वजनिक नीति का विरोध हो |

34.13 कंपनी द्वारा बनाई गई जोखिम प्रबंधन कार्यनीति का पालन करेगा |

34.14 यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर नस्ल, रंग, धर्म, आयु, लिंग, राष्ट्रीय मूल नि:शक्ता, अनुभव (वैटरन स्टेटस) या कोई अन्य पक्षपात के आधार पर भेदभाव या परेशान नहीं किया जाए |

34.15 कंपनी के आई टी प्रणाली का प्रयोग इस तरह से नहीं करेगा कि जिसके संबंध में यह माना जाए कि अनादर सूचक, मानहानिकारक या अश्लील या अन्यथा प्रयोजनों के लिए किया गया है और यह आई टी प्रणाली के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है |

34.16 कंपनी के कार्यों के निर्वहन के लिए पणधारियों अर्थात शेयरधारकों, देनदारों, लेनदारों, सरकार आदि के प्रति जवाबदेह होगा |

34.17 कंपनी को किसी निधि, क्रेडिट, संपत्ति या सेवाओं को किसी राजनैतिक दलों के लिए अंशदान (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से ) में नहीं देगा |

34.18 जिन देशों में कंपनी का व्यापार हो रहा है वहॉ उन देशों के लागू कानूनों, नियमों और विनियमों उनकी रुढियों और परंपराओं के भीतर सामाजिक रुप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करेगा |

34.19 कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों के अनुसार कार्य करेगा |

34.20 मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सजगता और जागरुकता को बढावा देना |

34.21 उनका संचालन व्यावसायिक, शालीन और सम्मानपूर्वक तरीके से करेगा और अपने पद से अनुचित लाभ नहीं उठाएगा |

34.22 निदेशकों के रुप में कार्य करते हुए उन्हें प्राप्त किसी जानकारी या अवसर का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेगा जिसका कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे |

34.23 कंपनी की संपत्ति या पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग नहीं करेगा |

34.24 इस तरह से काम करेगा कि कंपनी की ख्याति में वृद्धि हो और वह बनी रहे |

34.25 बोर्ड के समक्ष ऐसे किसी निजी हित को प्रकट करेगा जो कि प्रस्तुत किए जाने वाले किसी ऐसे मामले के संबंध में है जो बोर्ड के समक्ष आ सकता है और किसी भी मामले के संबंध में निर्णय को प्रभावित करने वाले किसी विचार-विर्मश में भाग नहीं लेगा / वोट नहीं देगा या अन्यथा उसमें भाग नहीं लेगा, जिसमें संबंधित निदेशक का हित है या हो सकता है |

34.26 निदेशकों के रुप में कार्य हुए उन्हें प्राप्त किसी जानकारी या अवसर का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेगा जिसका कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो |

34.27 उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायता करेगा और उनके अनुपालन के प्रति वचनबद्ध रहेगा |

34.28 सदस्य की जानकारी में आई ऐसी किसी सूचना को उचित तरीके से और यथासमय बोर्ड को सूचित करेगा जो निर्णय लेने से संबंधित है या अन्यथा कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है |

34.29 बोर्ड के अन्य सदस्यों और कंपनी से संबंधित अन्य व्यक्तियों से सम्मानपूर्वक, गरिमा, निष्पक्षता और सौजन्यपूर्वक व्यवहार करेगा |

34.30 यह सुनिश्चित करेगा कि लेन-देनों की रिकार्डिंग, रिर्पोटिंग, बिलिंग कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार की जाए |

34.31 ग्राहक, पूर्तिकार, विक्रेता, समुदाय और सभी पणधारी के लिए तत्पर और सौजन्यपूर्ण सेवा की व्यवस्था होगी और कंपनी का समुदाय और मीडिया के लिए उपयुक्त संचार सिस्टम होगा |

**35. निदेशकों के कार्य**

कंपनी का / के निदेशक निम्नलिखित कार्य करेगा / करेंगे |

35.1 कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करेगा |

35.2 समग्र रुप से कंपनी के सदस्यों के लिए, लाभ के लिए इसके उद्‌देश्यों को बढावा देने के लिए और कंपनी, इसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हितों के लिए और पर्यावरण के सरंक्षण के लिए सदभाव से कार्य करेंगे |

35.3 अपने कार्य सम्यक और उचित सावधानी, कुशलता और कर्मिष्ठता से करेंगे और स्वतंत्र निर्णय देंगे|

35.4 किसी ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा/ होंगे, जिसमें उसका/ उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, जिसका कंपनी के हित से टकराव हो या संभवत: टकराव हो सकता हो |

35.5 वह/ वे स्वयं या अपने रिश्तेदारों को, साझेदारों को या सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ नहीं देगा/ देंगे या देने का प्रयास नहीं करेगा / करेंगे तथा यदि कोई निदेशक किसी अनुचित लाभ को प्राप्त करने के लिए दोषी पाया जाता है, तो वह कंपनी को उस लाभ के बराबर राशि अदा करने के लिए उतरदायी
होगा |

35.6 निदेशक के रुप में अपने पद को असमुदेशित नहीं करेगा और इस प्रकार किए गए समानुदेशन निस्प्रभावी होंगे |

**36. स्वतंत्र निदेशकों के कार्य**

**स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित कार्य करेगा :**

36.1 उचित प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करेगा और नियमित रुप से अपने कौशल और ज्ञान को अद्‌यतन रखेगा और कंपनी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएगा |

36.2 सूचना के संबंध में उचित स्पष्टीकरण और ब्यौरा प्राप्त करेगा और जहां आवश्यक होगा कंपनी के व्यय पर बाहर से विशेषज्ञों की उचित व्यावसायिक सलाह और राय लेगा और उसका पालन करेगा |

36.3 निदेशक मंडल और जिन बोर्ड समितियों का वह सदस्य है उनकी सभी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेगा |

36.4 बोर्ड की उन समितियों में रचनात्मक रुप से और सक्रिय रुप से भाग लेगा जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं |

36.5 कंपनी की साधारण बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे |

36.6 जहां वे कंपनी के संचालन के बारे में कार्य करते हैं या प्रस्तावित कार्रवाई यह सुनिश्चत करती है कि इन पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जाए और जिस सीमा तक उनका समाधान नहीं होता है वहां इस बात पर जोर दें कि उनके कार्य बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में रिकार्ड कर दिए गए है |

36.7 वह कंपनी और बाह्य परिवेश जिसमें वह कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी रखनी चाहिए |

36.8 विशिष्ट बोर्ड या इस बोर्ड की समिति की कार्यप्रणाली में अन्यथा अनुचित रुप से बाधा नहीं डालेगा |

36.9 पर्याप्त ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि संबंध पार्टी के लेन-देन का अनुमोदन करने से पूर्व पर्याप्त विचार विमर्श किया जाता है और स्वयं को इस बात से निश्चित करेगा कि यह कंपनी के हित में है |

36.10 यह अभिनिश्चित और सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्क क्रियाविधि है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो व्यक्ति इस क्रियाविधि का प्रयोग करता है उसके हित पर इसके प्रयोग के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड रहा है |

36.11 अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति भंग करने से संबंधित कार्यों की रिर्पोट करेंगे |

36.12 अपने प्राधिकार के भीतर कार्य करेंगा, कंपनी, शेयरधारकों और इसके कर्मचारियों के न्यायसंगत हितों के संरक्षण में सहायता करेंगी |

36.13 गोपनीय जानकारी जिसमें वाणिज्यिक गोपनीय तथ्य, प्रोद्योगिकियां, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाएं, अप्रकाशित कीमत संवदी सूचना शामिल हैं उन्हें जब तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि ऐसे प्रकटन को बोर्ड द्वारा स्पष्ट रुप से अनुमोदित नहीं किया जाता या विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित नहीं हो |

36.14 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के नैतिक मानकों को बनाए रखेंगे |

36.15 अपनी ड्यूटी करते समय वस्तुगत दृष्टि से और रचनात्मक रुप से कार्य करेंगे |

36.16 कंपनी के हित में सद्भावपूर्ण रुप से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे |

36.17 उचित तथा संतुलित निर्णय देने में व्यवसायिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान देंगे |

36.18 किसी ऐसी असंगत बातों पर ध्यान नहीं देगा जिससे संपूर्ण कंपनी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने का उद्देश्य ही निष्फल हो जाए | बोर्ड के सामूहित निर्णय से सहमति या असहमति के बारे में उचित निर्णय लेने में पर्याप्त समय देगा और संतुलित निर्णय देने में अपने व्यावसायिक दायित्वों को पूरा करने पर ध्यान देगा |

36.19 कंपनी की या उसके शेयरधारकों की हानि या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निजी लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से या किसी समबद्ध व्यक्ति के लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे |

36.20 कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जहां उसकी स्वतंत्रता कम होती हो |

36.21 जहां ऐसी परिस्थितियां हो जिसके कारण स्वतंत्र निदेशक की अपनी स्वतंत्रता कम होती हो तो वहां स्वतंत्र निदेशक को तदनुसार बोर्ड को तत्काल सूचित करना चाहिए |

36.22 सर्वोत्तम सुशासन कार्य नीतियॉ लागू करने में कंपनी की सहायता करेंगे |

36.23 बोर्ड के विचार-विमर्श विशेष रुप से नीतिगत मामलों, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों और आचरण के मानकों के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायता करेंगे |

36.24 बोर्ड और प्रबंधन वर्ग के निष्पादन का मूल्यांकन उद्देश्यपरक और वस्तुगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करेंगे |

36.25 स्वीकृत निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और निष्पादन की रिर्पोटिंग का मानीटर करने के लिए प्रबंधन वर्ग के निष्पादन की संवीक्षा करेंगे |

36.26 वित्तीय जानकारी की संपूर्णता और उस वित्तीय कारगर और प्रतिरक्षणीय है | इनके संबंध में अपनी संतुष्टि करेंगे |

36.27 सभी पणधारी विशेष रुप से अल्पसंख्य शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हैं |

36.28 पणधारियों के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन बना कर रखेंगे |

36.29 कार्यपालक निदेशकों, महत्वपूर्ण प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के पारिश्रमिक के उचित स्तरों का निर्धारण करेंगे और उनकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जहां आवश्यक हो कार्यपालक निदेशक महत्वपूर्ण प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग को हटाने के लिए सिफारिश भी करते हैं |

36.30 प्रबंधन वर्ग और शेयरधारक के हित के मध्य टकराव होने की स्थिति में पूर्णरुप से कंपनी के हित के संचालन करते हुए मध्यस्थता करेंगे |

# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

**परिशिष्ट - ।**

**बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का उद्धरण

धारा 2 (77) - किसी व्यक्ति के संदर्भ में "नातेदार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अन्य से संबंधित है यदि :

i. वे हिंदू अविभाविज परिवार के सदस्य है |

ii. वे पति और पत्नी है | या

iii. एक व्यक्ति दूसरे से इस प्रकार संबंधित है जैसा कि निधार्रित किया जाए |

**कंपनी (परिभाषाओं के ब्योरे के विनिर्देशन ) नियमावली, 2014 का नियम - 4**

**(नातेदारों की सूची )**

एक व्यक्ति दूसरे का नातेदार समझा जाएगा यदि वह निम्नप्रकार से एक-दूसरे से संबंधित होगा | होगी, अर्थात :-

1. पिता :
("पिता" में सौतेला पिता शामिल है )

2. माता :
("माता" में सौतेली माता शामिल है)

3. पुत्र :
("पुत्र" में सौतेला पुत्र शामिल है )

4. पुत्र की पत्नी

5. बेटी

6. बेटी का पति

7. भाई :
("भाई" में सौतेला भाई शामिल है )

8. बहन :
("बहन" में सौतेली बहन शामिल है )

# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

**परिशिष्ट - ।।**

**बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता**

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक संबद्ध पार्टियों से किए जाने वाले लेन-देनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना आईसीएआई द्वारा जारी एएस - 18 में दिए अनुसार प्रकट करेंगे :

i) लेन - देन करने वाली संबद्ध पार्टी का नाम ;
ii) पार्टियों के मध्य संबंध का वर्णन ;
iii) लेन-देन के स्वरुप का वर्णन ;
iv) लेन-देन की मात्रा जो या तो राशि में है या उचित अनुपात में हैं
v) संबद्ध पार्टी के लेन-देनों से संबंधित अन्य घटक जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए आवश्यक हैं,

हस्ताक्षर -----------------------------------

नाम -----------------------------------

पदनाम -----------------------------------

तारीख -----------------------------------

स्थान -----------------------------------

टिप्पणी:संबद्ध पार्टी लेन-देनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं जिसके संबंध में प्रकटीकरण बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा किया जाएगा :

- माल (तैयार या अपूर्ण) का क्रया या बिक्री;
- स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय या बिक्री;
- सेवाएं देना या प्राप्त करना ;
- एजेंसी की व्यवस्थाएं;
- पट्टे पर या किराया - खरीद पर की जाने वाली व्यवस्था ;
- अनुसंधान और विकास का हस्तांतरण ;
- लाइसेंस करार ;
- वित्त (इसमें ऋण और ईक्विटी अंशदान नकदी में या वस्तु में शामिल हैं );
- गारंटियां और संपार्श्विक; और
- प्रबंधन वर्ग की संविदाओं में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति शामिल हैं ;

# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

**परिशिष्ट - ।।।**

**बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता**

**वार्षिक अनुपालन रिर्पोट**

मैं ----------------------------------------------------------------------एतद्द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं मैंने अपनी पूरी जानकारी और विश्वास से 31 मार्च, ---------------- को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के उपबंधों का पूरी तरह से अनुपालन किया हैं ।

हस्ताक्षर ------------------------------------

नाम ------------------------------------

पदनाम ------------------------------------

तारीख ------------------------------------

स्थान ------------------------------------

# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

**परिशिष्ट - IV**

**बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता**

**अभिस्वीकृति फार्म ***

मुझे ---------------------------------------------- कंपनी की "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता" प्राप्त हो गई है और मैने उसका अध्ययन कर लिया है | मैंने इस आचार संहिता में दिए गए प्रावधानों और नीतियों को समझ लिया है और मैं इस संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं |

हस्ताक्षर ------------------------------------

नाम ------------------------------------

पदनाम ------------------------------------

तारीख ------------------------------------

स्थान ------------------------------------

* प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए |